भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 831
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में डेंगू के मामले

†831. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से नवम्बर, 2024 तक बंगलुरू और कर्नाटक के शेष जिलों में डेंगू बुखार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इसे और फैलने से रोकने के लिए कौन-कौन से निवारक नियंत्रण उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी तंत्र तैनात किया गया है;

(घ) क्या सरकार के पास बृहत बंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) और राज्य के अन्य जिलों में कीट विज्ञान संबंधी स्कंध को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत एडीज प्रजनन रोकथाम का अनुपालन न करने के लिए कर्नाटक में अब तक वसूले गए जुर्माने की राशि के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): कर्नाटक राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी से 20 नवंबर, 2024 तक बेंगलुरु में डेंगू ज्वर के 15,565 और कर्नाटक के शेष जिलों में 16,156 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण डेंगू की रोकथाम से संबंधित कार्यकलाप राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) और क्षेत्रीय निदेशक, बैंगलुरू कार्यालय नियमित समीक्षाओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से कर्नाटक सहित देश में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों की वृद्धि की नियमित रूप से जांच कर रहे हैं।

कर्नाटक राज्य सहित देश में डेंगू के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डेंगू नियंत्रण कार्यकलापों जैसे घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं, कीटनाशक, फॉगिंग मशीनों आदि के प्रावधान, डेंगू संबंधी मामले का प्रबंधन, प्रशिक्षण सहायता, जांच, जागरूकता कार्यकलापों आदि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।
- डेंगू की निगरानी और नि:शुल्क निदान के लिए देश भर में प्रयोगशाला सुविधा के साथ 848 प्रहरी निगरानी अस्पताल और उन्नत नैदानिक सुविधा केन्द्रों के साथ 27 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है। इनमें से, 37 प्रहरी निगरानी अस्पताल और एक शीर्ष रेफरल प्रयोगशाला कर्नाटक में हैं।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के माध्यम से पहचान की गई प्रयोगशालाओं को परीक्षण किट प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा लागत वहन की जाती है।
- नैदानिक प्रबंधन पर डॉक्टरों और एकीकृत वेक्टर प्रबंधन पर कीटविज्ञानियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने एड्वाइजरी जारी की है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकोप से निपटने की तैयारी के लिए कर्नाटक सहित राज्यों को संवेदनशील बनाए और पूर्व चेतावनी दें।
- डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, प्रभावी सामुदायिक भागीदारी और कार्यान्वयन हेतु राज्यों को केस प्रबंधन के लिए नैदानिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कीट विज्ञान संबंधी विंग को सुदृढ़ करने के लिए बृहत बेंगलूरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- मच्छर संग्रहण कार्य में सहायता करने के लिए 24 कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों (3 प्रति क्षेत्र) को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

- बीबीएमपी में डेंगू नियंत्रण कार्यकलापों की निगरानी के लिए कीटविज्ञानी परामर्शदाता तैनात किया गया है।
- प्रत्येक जिले में कीट विज्ञान संबंधी कार्यकलापों को करने के लिए तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहायक कीटविज्ञानी की कार्य व्यवस्था के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचना जारी की गई है। सहायक कीट विज्ञानियों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का जिला-वार और संस्था-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -1** में दिया गया है।

(ड़) और (च): कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 20.11.2024 तक, बीबीएमपी, बेंगलुरु और मंगलुरु नगर निगम, मंगलुरु के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एडीज मच्छर से रोकथाम उपायों का पालन न करने के लिए जुर्माने की राशि के रूप में क्रमशः 6,50,000/- रुपये (छह लाख पचास हजार रूपये) और 35,000 रुपये (पैंतीस हजार रूपये) एकत्र किए गए हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए वसूले जुर्माने का माह-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -2** में दिया गया है।

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या '831' के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक 1					
कर्नाटक में सहायक कीटविज्ञानियों की संस्थान-वार स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की स्थिति					
क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**संस्था का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
बेंगलुरु क्षेत्र					
1	बेंगलुरु शहरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा निदेशालय	1	1	0
2	बेंगलुरु शहरी	जिला वीबीडीसी कार्यालय	1	1	0
3	बेंगलुरु शहरी	राज्य निगरानी इकाई	1	0	1
4	बेंगलुरु शहरी	एनएएमपी क्षेत्र	1	0	1
5	बेंगलुरु ग्रामीण	जिला वीबीडीसी कार्यालय	1	1	0
6	रामनगर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
7	कोलार	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
8	चिक्काबल्लापुरा	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
9	तुमकुर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
10	दावणगेरे	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
11	चित्रदुर्ग	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
12	शिमोगा	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
13	शिमोगा	वायरल डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला	1	0	1
	कुल		**13**	**10**	**3**
मैसूर क्षेत्र					
14	मैसूर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
15	मैसूर	एनएएमपी जोन	1	0	1
16	कोडागु	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
17	मांड्या	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
18	हसन	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
19	चामराजनगर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
20	चिक्कमगलुरु	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
21	डी. कन्नड़	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
22	उडुपी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
	कुल		**9**	**8**	**1**

बेलगावी क्षेत्र					
23	बेलगावी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
24	बेलगावी	एनएएमपी क्षेत्र	1	0	1
25	बागलकोट	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
26	विजयपुरा	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
27	धारवाड़	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
28	हावेरी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
29	गडग	जिला वीबीडीसी कार्यालय	1	1	0
30	उत्तर कन्नड़	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
	कुल		**8**	**7**	**1**
कलबुर्गी					
31	कलबुर्गी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
32	कलबुर्गी	एनएएमपी क्षेत्र	1	1	0
33	यादागिरी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
34	रायचूर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
35	कोप्पल	जिला वीबीडीसी कार्यालय	1	1	0
36	बीदर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
37	बल्लारी	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
38	विजयनगर	जिला निगरानी इकाई	1	1	0
	कुल		**8**	**8**	**0**
39	राज्य मुख्यालय	एचएफडब्ल्यू सेवा निदेशालय	2	1	1
40	राज्य मुख्यालय	एसएसयू	2	1	1
			4	**2**	**2**
	कुल		**38**	**33**	**5**
	कुल योग		**42**	**35**	**7**

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा**, अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के भाग (ड़) और (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

अनुलग्नक 2

वर्ष 2024 (20.11.24 तक) के दौरान एडीज प्रजनन से रोकथाम का अनुपालन नहीं करने पर कर्नाटक सरकार द्वारा वसूले गए जुर्माने की राशि का माह-वार और जिला-वार ब्यौरा													
क्र.सं.	जिला	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर (20.11.2024 तक)	वसूली की गई जुर्माने की कुल धनराशि (रुपए में)
1	**दक्षिण कन्नड (मंगलुरु शहर निगम)**	1000	1000	1200	2800	5000	3000	5500	3500	4500	5500	2000	**35000**
2	**बेंगलुरु शहर (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके - बीबीएमपी)**	2500	3000	3500	4000	16000	150000	150000	150000	108000	50000	13000	**650000**
वसूली गई जुर्माने की कुल धनराशि (रुपए में)		3500	4000	4700	6800	21000	153000	155500	153500	112500	55500	15000	**685000**

******